मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

क्रमांक एफ -5(ए)/1/2013/ई/चार, भोपाल, दिनांक 7/10/2014

प्रति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास

नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास (पंचायत), ऊर्जा विभाग

वन, गृह, मंत्रालय, भोपाल । जल संसाधन, लोक निर्माण,

विषय:-वित्तीय सलाहकार प्रणाली के अंतर्गत पदस्थ वित्तीय सलाहकार के कर्तव्य ।

संदर्भ:-(i) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ-7(56)/2013/1-7/स्था-3, दिनांक 13 जून, 2013 के अनुसार मंत्रालय के 10 विभागों में वित्तीय सलाहकार के पदों का निर्माण ।

(ii)वित्त विभाग व्दारा जारी अधिसूचना क्र.एफ-2-1/2014/नियम/चार, दिनांक 10.3.2014

--0--

राज्य शासन व्दारा वर्तमान में विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्तीय सलाहकार की पदस्थापना की गयी है । इन अधिकारियों के कर्त्तव्य निर्धारण के लिये वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-13/27/2002/ई/चार एवं एफ 5(ए)2/2009/ई/चार, दिनांक 20.12.02 एवं 25.2.09 व्दारा आदेश (प्रति संलग्न) जारी किये गये हैं । वित्त विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 10.3.2014 व्दारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्तीय सलाहकारों को सहायक वित्तीय सलाहकार तथा 10 प्रशासकीय विभागों में मंत्रालय स्तर पर पदस्थ वित्त विभाग के अधिकारी को वित्तीय सलाहकार घोषित किया गया है।

2/ राज्य सरकार के व्दारा 10 प्रशासकीय विभागों में वित्तीय सलाहकार प्रणाली प्रारंभ की गई है । वित्तीय सलाहकार प्रणाली के अंतर्गत पदस्थ वित्तीय सलाहकार के निम्नांकित कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं :-

Galaxy A33 5G

1 सक्षम वित्तीय समितियों को प्रस्तुत किये जाने वाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण एवं यह सुनिश्चित करना कि प्रतिवेदन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 81/आर-1703/चार/ब-1/2011 दिनांक 18.1.12 अनुसार बनाया गया है ।

2 राज्य योजना आयोग की बैठकों में विभाग की ओर से भागीदारी ।

3 विभाग का परिणामी बजट, जेण्डर बजट तैयार करना ।

4 विभाग अंतर्गत संचालित केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित योजनाओं में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्ति की समीक्षा।

5 बाहय वित्त पोषित योजनाओं में विभाग की ओर से दावों का सही समय से प्रस्तुतिकरण ।

6 विभागीय गतिविधियों में पी.पी.पी.आधारित योजनायें तैयार करने में सहयोग देना।

7 विभाग की ओर से किये जा रहे विभिन्न अनुबंधों का शासन के वित्तीय हित के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण ।

8 विभाग व्दारा वितरित ऋणों का अनुश्रवण तथा विस्तृत लेखा तैयार करवाना ।

9 विभाग अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं व्दारा प्राप्त शासकीय प्रत्याभूतियों के विरुद्ध प्राप्त ऋण की वापिसी की समीक्षा।

10 विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत आदेश जारी करना ।

11 विभागीय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना ।

12 विभाग के किसी भी नीतिगत मामलों में जहां वित्तीय व्यय निहित है,पर मत देना ।

13 महालेखाकार के रिव्यू अथवा ड्राफट पैरा की समयसीमा में निराकरण की समीक्षा ।

14 न्यायालयीन प्रकरणों में निहित विभिन्न वित्तीय नियमों/निर्देशों पर प्रभारी अधिकारी को उत्तर बनाने में मार्गदर्शन देना

15 विभागीय आय में वृद्धि एवं व्यय में मितव्ययता पर सुझाव देना ।

16 विभागीय नियमावली, मैन्युअल में सुधार / परीक्षण का कार्य ।

17 विभागीय वार्षिक बजट के समर्पण के प्रस्तावों का परीक्षण ।

18 विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से समन्वय एवं बजट राशि के औचित्यपूर्ण उपयोग की समीक्षा ।

-3-

Galaxy A33 5G

19 विभाग के बजट प्रस्तावों पर वित्त विभाग में उप सचिव/अवर सचिव की चर्चाओं में भाग लेना।

20 उपरोक्त के अतिरिक्त समय- समय पर विभाग व्दारा सौंपे गये अन्य कार्य।

3. विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार से उपरोक्तानुसार नस्तियों पर मत/टीप प्राप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था प्रशासकीय विभाग व्दारा जारी की जायेगी। आदेश/निर्देश जिन्हें वित्तीय सलाहकार के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है, उनमें सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात, नस्तियां आदेश जारी किये जाने हेतु वित्तीय सलाहकार को अंकित की जायेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नाथ)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक एफ -5(ए)/1/2013/ई/चार, भोपाल, दिनांक 7/10/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव,वित्त के निज सचिव,
3. प्रमुख सचिव/सचिव,वित्त के निज सहायक,
4. प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,
5. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/उप महालेखाकार कार्यालय,महालेखाकार 53, अरेरा हिल्स भोपाल,
6. आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

Galaxy A33 5G